फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

ख्या :- 167/2018

ी उर्फ फूली देवी पत्नी कैलाश जाति मीणा, धोराला **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
- 8 18	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम धोराला प.ह. बल्लूपुरा संवत 2070–73 के खाता संख्या 52 व 54 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। खाता संख्या 52 व 54 में फूली देवी पत्नि कैलाश हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड, शेष प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूत से साबित करें। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच प्रमाण के अनुसार प्रार्थिया का शूद्ध करे। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्रम धोराला की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 52 व 54, चुनाव पहचान पत्र भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा का प्रमाण पत्र बतौर सबूत पेश किये। वकील प्रार्थी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया तो प्रार्थीया का नाम मनफूली देवी पत्नि कैलाश मीणा दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में फूल देवी पत्नि कैलाश के नाम दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थीया का नाम वास्तविक मनफूली देवी है, सरपंच प्रमाण पत्र के अनुसार फूली देवी व मनफूली देवी एक ही नाम की महिला है। प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी मनफूली देवी पत्नि कैलाश ही दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया का नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 483, 484 किता 2 रकबा 0.86 है0 व खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 436, 437 किता 9 रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम धोराला प. ह. बल्लूपुरा तहसील चाकसू में प्रार्थीया का नाम फूली देवी पत्नि कैलाश के स्थान पर मनफूली देवी उर्फ फूली देवी पत्नि कैलाश शुद्ध (सही) अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में भी शुद्ध किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली [illegible] तर हो।	

चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested